न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
076/2024(रे.वि.) (GCMS 2024/324)	04.11.2024	07.01.2025

अनवान

श्रीमती बरजीबाई पत्नी नानालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. श्रीमती गीताबाई पुत्री हीरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. श्रीमती नारायणीबाई पत्नी हीरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. शम्भुलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. श्रीमती शांतिबाई पुत्री पिता हीरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. श्रीमती गीताबाई पत्नी प्यारचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. देवीलाल पिता प्यारचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. श्यामलाल पिता प्यारचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. समरथलाल पिता प्यारचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. सुरेश कुमार पिता प्यारचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी करणपुरिया तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
11. अशोक कुमार पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कदवासा तहसील सिंगोली जिला नीमच (मध्य प्रदेश)
12. श्रीमती शांताबाई पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कदवासा तहसील सिंगोली जिला नीमच (मध्य प्रदेश)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– छोगालाल जाट — प्रार्थी
पिंकी शर्मा (वक्त बहस अनुपस्थित) — अप्रार्थी संख्या 1 से 12 तक
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — अप्रार्थी संख्या 13

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् प्रकरण का हस्तान्तरण कराया जाने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र बाबत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू में विचाराधीन प्रकरण संख्या 016/2024 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रकरण संख्या 017/2024 को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने बाबत् पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रकरणों को निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी को मुंतकिल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 12 तक की और से अधिवक्ता पिंकी शर्मा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उपखण्ड अधिकारी बेंगू से पत्रांक/सरिश्ता/2024/556 दिनांक 28.11.2024 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 13 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 07.01.2025 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अप्रार्थीगण की और से जवाब प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस रिकार्ड पर होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी संख्या 1 से 5 तक ने प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 6 से 13 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो वास्ते सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 बेंगू तहसील कार्यालय में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर तैनात है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी बेंगू के पति पूर्व में तहसीलदार बेंगू के पद पर रह चुके है, जिससे प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 की अच्छी जान पहचान है।

इस पर हाजिर राजकीय अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी बेंगू से प्राप्त टिप्पणी/अभिमत का अवलोकन कराया एवं बताया प्रकरणों के विधि अनुसार निस्तारण बाबत् न्यायालय के विवेकानुसार नियमित पेशी दी जाकर सुनवाई की जा रही है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईल्तजा की जाकर अपने कथनों को विराम दिया।

इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के रिवटल में बताया कि प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 अपनी पहुॅच व पद का दुरूपयोग कर वर्तमान पीठासीन अधिकारी के साथ नियमित उठक–बैठक होकर उक्त कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है। प्रार्थीया व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्य विपक्षीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर साप्ताहिक पेशीया लेकर जान पहचान के आधार पर तुरन्त अपने पक्ष में निर्णय करवाना चाह रहा है। जिससे प्रार्थीगण को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद तक समाप्त हो चुकी है, जिससे उक्त पत्रावली को अन्य पीठासीन अधिकारी को मुंतकिल की जाकर प्रार्थीया को निष्पक्ष न्याय दिलाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीया की पत्रावली निष्पक्ष अनुसंधान के न्यायालय में हस्तान्तरण की जाकर प्रार्थीया को उचित न्याय प्रदान कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू के प्रकरण संख्या 016/2024 एवं 017/2024 उक्त दोनो प्रार्थना–पत्र निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी को मुंतकिल किया जाकर प्रार्थीया/विपक्षीया को निष्पक्ष न्याय दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मुख्य तथ्य यह उठाया गया है कि प्रकरण के प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 का तहसील कार्यालय बेंगू में पदस्थापित होने का उठाया गया है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा नक्शा तरमीम का प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया हुआ है, अन्य कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी संख्या 1 भू–अभिलेख निरीक्षक के रूप में अपनी सेवाये दे रहा है। कर्त्तव्य पालन के दौरान राजस्व बैठक उपस्थित रहना कोई गलत नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू के प्रकरण संख्या 016/2024 की आदेशिका के अवलोकन से हाजिर होता है कि प्रार्थीया द्वारा मार्फत अधिवक्ता दिनांक 04.04.2024 से न्यायालय में उपस्थित दी गई एवं इसके बाद लगातार न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को अवसर प्रदान किये गये है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू पर प्रार्थीया द्वारा अपने आवेदन में उठाये गये तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं उठाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की आवश्यकता महसूस होती हो, बल्कि प्रकरण को स्थानान्तरण करने से उसकी वरियता समाप्त होकर प्रकरण में निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ही होगा। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का सुमचित प्रत्युत्तर कर न्यायालय से न्याय की गुहार कर सकती है, किन्तु प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना–पत्र दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने बाबत् आवेदन इस न्यायालय प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके साथ ही अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा भी अपनी टिप्पणी में विपक्षी संख्या 1 का पदस्थापन होना जाहिर कर बताया है कि न्यायालय द्वारा विवेकानुसार प्रकरणों के निस्तारण बाबत् नियमित सुनवाई की जाकर प्रार्थी को प्रकरणों में बहस हेतु न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किये जा चुके है, फिर भी यदि उक्त प्रकरणों को अन्य दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना भी अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति में न्याय के संतुलन के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त दोनो प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू के प्रकरण संख्या 016/2024 (प्रा.प.) एवं 017/2024 (प्रा.प.) को स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू में लम्बित उक्त दोनो प्रकरणों को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रातवभाटा में मुंतकिल (स्थानान्तरण) किये जाने का आदेश जाकर अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को विधि–सम्मत् सुमचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये 06 माह की अवधि में गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के प्रयास किये जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू एवं रावतभाटा को पालनार्थ भिजवाई जावें। इसके साथ ही उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान दिनांक **12.02.2025** को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के समक्ष उपस्थित रहे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू उभयपक्षकारान को नियत दिनांक पर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के समक्ष उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बेंगू एवं रावतभाटा को पालनार्थ भिवजाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official